चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 14.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय,क्षेत्राधिकारी लाइन्स/आंकिक श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी द्वारा आषाढ़ मास अमावस्या मेले में आये हुये श्रद्धालुओं को 03 कुंतल 50 किलो आम का वितरण किया गया। चित्रकूट पुलिस द्वारा लगातार विगत 34 माह से सीतापुर मेला क्षेत्र में आये हुये श्रद्धालुओं को फल,हल्का नाश्ता या प्रसाद विवतण किया जाता है।

(3). आज दिनांक 14.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाठक के मार्गदर्शन में आषाढ़ मास अमावस्या मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एस-चेक टीम बांदा, डॉग स्क्वायड एवं एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट सीतापुर क्षेत्र में व्यापक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान रामघाट, परिक्रमा मार्ग, प्रमुख मठ-मंदिरों, घाटों तथा आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों का गहन निरीक्षण एवं चेकिंग की गई। डॉग स्क्वायड टीम द्वारा संदिग्ध वस्तुओं, लावारिस सामान एवं संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रमुख प्रवेश एवं निकास मार्गों पर भी सतर्क निगरानी रखी गई।
चेकिंग के दौरान आमजन एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा मेले में शांति, सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
चित्रकूट पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सकुशल दर्शन व्यवस्था हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

(4). आज दिनांक 14.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आषाढ़ मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु रामघाट,निर्मोही अखाड़ा,टैम्पो स्टैण्ड,यूटीपी तिराहा,चित्रागोकूलपुर, परिक्रमा मार्ग एवं मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

दीपक कुशवाहा पुत्र अनिल कुशवाहा निवासी मां कुशमाण्डा देवी मंदिर के पास कब्जा घाटमपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर उम्र करीब 33 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद मोटर साइकिल UP 90 AA 6701

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.07.2026 को वादी राकेश पुत्र स्व0 प्रहलाद निवासी ग्राम सिरसौना थाना बदौसा जनपद बादां वर्तमान ने सूचना दिया कि फक्कड़ बाबा की कुटिया के पास रेलवे कॉलोनी के निर्माण कार्य में कारीगरी का काम करता है। दीपक कुशवाहा पुत्र अज्ञात निवासी घाटमपुर साथ में रहकर निर्माण कार्य करता था जो दिनांक 05.07.2026 को दोपहर लगभग 3 बजे रूम से गाड़ी संख्या UP 90 AA 6701 की चाभी चुराकर गाड़ी निकालकर

भाग गया । उस समय आवेदक छत का निर्माण कार्य कर रहा था। आवेदक जब तक नीचे आया दीपक भाग गया था। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 415/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम दीपक कुशवाहा पुत्र अज्ञात निवासी घाटमपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर पंजीकृत किया गया।
आज दिनाँक 14.07.2026 को उ0नि0 श्री राजेश कुमार एवं उनकी पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि जो मोटर साइकिल फक्कड़ बाबा की कुटिया के पास से चोरी हुई थी चोरी करने वाला व्यक्ति इस समय पुरानी कोतवाली की तरफ से भैरापागा की ओर आ रहा है। मुखविर को साथ लेकर मौके पर पहुंचे तो मुखविर इशारा करके चला गया। कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने उस व्यक्ति को मय मोटर साइकिल सहित पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुए जमातलाशी ली गयी तो अपना नाम दीपक कुशवाहा पुत्र अनिल कुशवाहा निवासी मां कुशमाण्डा देवी मंदिर के पास कब्जा घाटमपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर उम्र करीब 33 वर्ष बताया । जामा तलाशी में मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस के रजिस्ट्रेशन नं0 UP 90 AA 6701, चेसिस नम्बर MBLHAW117NHM78810, इंजन नम्बर HA11EVNHM39351 बरामद हुआ। मो0सा0 नं0 UP 90 AA 6701 को ई-चालान एप पर डालकर देखा गया तो वाहन स्वामी का नाम राकेश पुत्र प्रहलाद निवासी सिरसौना चन्दौर थाना बदौसा जनपद बांदा आया जो मु0अ0सं0 415/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है। पकड़े गये व्यक्ति से सख्ती से पूंछने पर बताया कि 05.07.2026 को दोपहर लगभग 3 बजे राकेश की गाड़ी चुराकर भागा था। अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार
2.रि0का0 दिलीप पाण्डेय

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 189/2014 धारा 452,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दुर्गा पुत्र नत्थू निवासी अकबरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 03 माह का साधारण कारावास व 1500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी नरेश सेन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री वीरेश कुमार सोनकर द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 43/2024 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.राजकिशोर उर्फ किशोरी विश्वकर्मा पुत्र राम गोपाल विश्वकर्मा 2.मोहित विश्वकर्मा पुत्र राजकिशोर उर्फ किशोरी विश्वकर्मा निवासीगण डोडामाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 6000/-6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी नरेश सेन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री वीरेश कुमार सोनकर द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2018 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.सचिन पुत्र छोटेलाल 2.श्रीमती मिथिला देवी पत्नी छोटेलाल निवासीगण बम्भियां थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 14.07.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजबहादुर पुत्र स्व0 अमरनाथ पटेल निवासी ग्राम लोधौआ कोटा कण्डेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 3500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(10). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 14.07.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2021 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त जशवन्त सिंह पुत्र स्व0 जयपाल सिंह निवासी शिवपुरी नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). आज दिनांक 14.07.2026 को अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री पीयूषकान्त राय द्वारा आषाढ़ मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाडा मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान मेला में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण की ड्यूटी चेक कर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने एवं श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया तथा घाटों पर लगे पुलिस बल को बताया गया कि गहरे पानी में जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोके,जो नाव लगे है उनकी सहायता से तत्काल बचाव का कार्य करेंगें। सभी नाविकों को निर्देशित किया गया कि अपनी-अपनी नाव में लाइफ जैकेट रखेंगे और जैसे ही श्रद्धालु नाव में बैठे उनको तुरंत लाइफ जैकेट पहनायेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है,किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरते किसी भी समय नदी में पानी की बहाव तेज हो सकती है।

(12).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना सरधुवा पुलिस टीम ने इलेक्ट्रानिक उपकरणों से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी,जालसाजी से सम्पत्ति गबन करने वाले 02 अभियुक्तों को 01 अदद रिवाल्वर सहित 53 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है किनाँक 09.05.2026 को वादी श्री प्रदीप यादव पुत्र श्री राजकुमार यादव निवासी फ्लैट नं- 305 फार्चून हाइट, अपार्टमेन्ट सी0 1124 निकट,डॉ0 तलवार क्लीनिक, सी ब्लाक, इंदिरा नगर,लखनऊ हाल मुकाम राउतमऊ,सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि पूर्व परिचित राधवेन्द्र दुबे पुत्र श्री सूर्यनारायण दुबे निवासी शहीद पथ चार्मवुड शुशांत गोल्फ सिटी, नियर बेस्ट प्राइज मार्ट लखनऊ, उत्तर प्रदेश जो अयान इंफ्राडेवलपर्स फर्म का प्रोपराइटर है। जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा बालू खनन का कार्य ग्राम धौरहरा खादर, तहसील राजापुर जनपद चित्रकूट गाटा सा (2क, 2ख, 3, 4/1, 4क 4ख, 5.6.7 आदि) क्षेत्रफल 108.499 हेक्टेयर 5 वर्ष के लिए आवंटन किया गया था। दिनांक 15.06.2021 को राधवेन्द्र दुबे ने अपने अंश के आवंटन में भागीदारी करने हेतु 19 प्रतिशत आय प्रदत्त करने का लालच देकर एक समझौता पत्र तहरीर कराया। जिसमे उपर्युक्त गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल के अंश में सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबन्धन,परिचालन एवं बालू खनन आदि का प्रबन्ध करना था। प्रार्थी ने उक्त समझौता पत्र में लिखी गई शर्तो के अनुसार उक्त कार्य किया, परन्तु समझौता शर्तो के अनुसार राधवेन्द्र दुबे ने प्रार्थी को होने वाली आय का एक रूपया भी भुगतान नहीं किया और बगैर किसी अग्रिम सूचना के प्रार्थी को उक्त बालू खनन क्षेत्र से हटाते हुए दोबारा उधर दिखाई पड़ने पर जान से मरवा देने की धमकी दी। प्रार्थी ने विपक्षी के कहने पर रास्ता, कैंची, कैम्प कार्यालय,धरम कांटा आदि कार्य पर 1,05,42,675 (एक करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार छः सौ पचहत्तर रूपये) 24,84,585 (चौबीस लाख चौरासी हजार पाँच सौ पचासी रूपये) एवं अंशदान के लिए 1,07,00,000 (एक करोड़ सात लाख) रूपये अपनी फर्म से राधवेन्द्र दुबे की फर्म को दिया। प्रार्थी अपने द्वारा खर्च किए गये पैसे व होने वाली आय का 19 प्रतिशत की मांग करता रहा, परन्तु वह झूठे आश्वासन देता रहा और प्रार्थी उसके विश्वास में पड़ा रहा व 2024 में आखिरी बार राधवेन्द्र दुबे से उक्त सम्बन्ध में वार्ता हुई तो उसने कहा की मेरी खदान अब बन्द हो गई है, अब मैं तुम्हारा भूगतान नही कर पाऊँगा। तब प्रार्थी ने उसके बारे में और पता लगाया तो पता चला कि वो जालसाज किस्म का व्यक्ति है, जो इस तरह से कई लोगों का पैसा हड़प चुका है और उसके विरूद्ध मुकदमें भी पीड़ित व्यक्तियों ने चला रखें है। इस सूचना के आधार पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 87/2026 धारा 420,406,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपर्युक्त में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए धारा 465,467,468,471,34 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी।

दिनांक 13.07.2026 को राघवेन्द्र उपर्युकत को साक्ष्य संकलन के आधार पर.मुखविर की सूचना व मोबाइल लोकेशन के आधार पर राघवेन्द्र दुबे पुत्र सूर्यनारायण दुबे निवासी वर्तमान पता पी-3/204 चन्दा पनोरमा सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ पुराना पता शहीद पथ चार्मवुड शुशांत गोल्फ सिटी, नियर बेस्ट प्राइज मार्ट,जनपद लखनऊ मूल पता ग्राम अइमा थाना बेलीपार जिला गोरखपुर उम्र करीब 48 वर्ष को पाण्डेय पुरवा नया फ्लाई ओवर के उपर पीछा कर (चिल्लीराकस) गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपर्युक्त की गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ एक अदद रिवाल्वर व 53 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त राघवेन्द्र के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू वारण्ट भी जारी किया गया है। उ0नि0 अजहर जमाल को दौराने देखभाल क्षेत्र में गिरफ्तार अभियुक्त राघवेन्द्र दुबे से मुलाकात करने मुकदमा उपर्युक्त में प्रकाश/वांछित चल रहे अभियुक्त जिसे आप नही पहचानते उसका पुरा नाम 1. देवाशीष शर्मा पुत्र कुलदीप शर्मा निवासी 385 पुरदिलपुर बैंक रोड थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर हाल पता 3/465 प्रथम तल विशाल

खण्ड -3 गोमती नगर लखनऊ उम्र 32 वर्ष मिलने आया है। जिसे तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना गेट से कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरणः-

1. देवाशीष शर्मा पुत्र कुलदीप शर्मा निवासी 385 पुरदिलपुर बैंक रोड थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर हाल पता 3/465 प्रथम तल विशाल खण्ड -3 गोमती नगर लखनऊ उम्र 32 वर्ष
2. राघवेन्द्र दुबे पुत्र सूर्यनारायण दुबे निवासी वर्तमान पता पी-3/204 चन्दा पनोरमा सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ पुराना पता शहीद पथ चार्मवुड शुशांत गोल्फ सिटी, नियर बेस्ट प्राइज मार्ट,जनपद लखनऊ मूल पता ग्राम अइमा थाना बेलीपार जिला गोरखपुर उम्र करीब 48 वर्ष

बरामदगीः-

एक अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर

53 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजहर जमाल
2. आरक्षी दीपेश यादव
3. आरक्षी हरेन्द्र कुमार